

फा.सं.190301/1/2017-ई.IV

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 12 सितंबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सरकारी दौरे पर तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा यात्रा की स्वीकार्यता।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के का.जा. संख्या 19030/1/2017-ई.IV का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें दौरे/प्रशिक्षण/स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति पर यात्रा के लिए यात्रा हकदारियों का निर्धारण किया गया है।

2. सरकारी दौरे पर तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा यात्रा की स्वीकार्यता के मामले के बारे में इस विभाग में विचार किया गया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दौरे/प्रशिक्षण/स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति पर इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के समसंख्यक का.जा. के पैरा 2 क (ii) में उल्लिखित रेलगाड़ियों के अलावा तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से यात्रा करने की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में यात्रा की हकदारी इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के समसंख्यक का.जा. के पैरा 2क(ii) में यथा उल्लिखित शताब्दी रेलगाड़ियों के समान होगी।

3. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत यथा अधिदेशित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

4. इसे वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(निर्मला देव)

निदेशक

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि:- भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।